न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर(म.प्र.)

(1)

R 285-PB/17

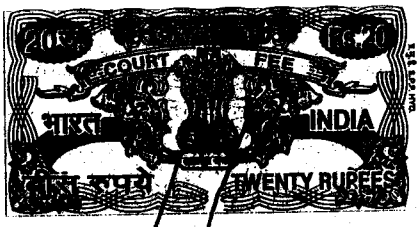

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विनोद ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 06-1-17
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

प्रथम राजस्व पुनरीक्षण क्र.: :

श्रवण तिथि :

नियत दिनांक : / /2016

13
06-01-17

1. अशोक पाटील आयु लगभग 62 वर्ष पिता माणिकराव पाटील, निवासी ग्राम अडगांव,तहसील एवं जिला बुरहानपुर(म.प्र.)

——— पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक क्र.2

विरूध्द

1. दिनकर पाटील आयु लगभग 55 वर्ष पिता माणिकराव पाटील, निवासी ग्राम अडगांव, तहसील एवं जिला बुरहानपुर(म.प्र.)

——— आवेदक/उत्तरदाता

म.प्र.भू–रा.सं.1959 की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक निम्नलिखित निवेदन करता है:–

अनावेदक, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त शाहपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर(पीठासीन अधिकारी श्रीमान सुनिल करवरे साहब)के राजस्व प्रकरण क्र.138 अ27/ वर्ष 2015–16 (दिनकर—आवेदक वि. शांताबाई+अशोक—अनावेदकगण)में पारित आदेश दिनांक 10/11/2016 से व्यथित होकर, उसे चुनौती देते हुए यह प्रथम पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला **बुरहानपुर**

प्रकरण कमांक निगरानी 285–पीबीआर/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर के आदेश दिनांक 10–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रचलित प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित कर उभयपक्ष को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश देने थे, परन्तु प्रकरण समाप्त कर दिया गया और उभयपक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये इस प्रकरण में कार्यवाही जारी रखना औचित्यपूर्ण है क्योंकि पूर्व प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण नहीं हुआ है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	